

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

पू./449/वि.यो./नग्रानि/2018

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दतिया निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 02.02.2018 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं —

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.
2. जिला कलेक्टर, दतिया, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दतिया, म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

भोपाल दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक एफ-3-17-2018-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 449-वि यो 467-नगानि-2018, दिनांक 30 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

No. 449-MPS-467-TCP-2018

Bhopal, the 30th January 2018

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Datia Planning area has been published on 02-02-2018 in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973(No.23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of :-

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector, District- Datia
3. Chief Municipal officer, Municipal Council, Datia
4. Joint Director, Town and Country Planning, District office Gwalior

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

SWATI MEENA NAIK, Director.